<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 418 / 12</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 10 / 09 / 12</u> फाईलिंग नं. 233504000412012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

प्रदीप पिता सुभाष, उम्र 19 वर्ष निवासी मटन मार्केट के पीछे आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 01.09.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 09. 09.2012 को समय शाम 06:50 बजे या उसके लगभग शेरू होटल के सामने बस स्टेंड आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 09.09. 2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त मटन मार्केट के पीछे आमला में लोहे की धारदार छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है, जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त छुरी लिए मिला जिसे स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा छुरी रखने के संबंध में कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 294 / 12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र

प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.09.2012 को समय शाम 06:50 बजे या उसके लगभग शेरू होटल के सामने बस स्टेंड आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 09.09. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ मटन मार्केट पहुंचना जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए मिला जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 294/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।
- 6 जाकिर खान (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह दिनांक 09.09.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को टी.आई. आर.के. दुबे के साथ हमराह बस स्टेंड आमला जाना जहां अभियुक्त हाथ में चाकू लेकर चिल्ला चोट कर रहा था जिसे घोराबंदी कर पकड़ा गया था जिससे टी.आई. साहब ने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी।

- 7 प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी विक्की उर्फ विकास के अदम पता हो जाने से उनकी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी है। स्वतंत्र साक्षी अंकुर द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। अभिलेख पर जाकिर खान (अ.सा.—2) एवं आर.के दुबे (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- 8 आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मटन मार्केट के पीछे मौके पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ जाना और वहां पर अभियुक्त प्रदीप से एक लोहे की धारदार छुरी जप्त करना, छुरी को मौके पर सीलबंद करना, अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। जािकर खान (अ.सा.—2) ने सूचना मिलने पर टी.आई. साहब एवं हमराह स्टाफ के साथ बस स्टेंड पर जाना बताया है।
- 9 आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने प्रति परीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जाकिर खान (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि उसे आज याद नहीं है कि मौके पर स्टाफ के अन्य कौन लोग गये थे तथा गवाह विक्की एवं अंकुर को कहां से बुलवाया गया था। इस सुझाव को सही बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब साक्षी अंकुर और विक्की मौके पर पहले से उपस्थित थे। इस प्रकार विवेचक साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.—3) एवं जाकिर खान (अ.सा.—2) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है।
- 10 प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी—4) के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि जप्ती पत्रक पर सफेदा लगाकर तिथि एवं घटना के दिन में परिवर्तन किया गया है। साथ ही रोजनामचा सान्हा क्रमांक में भी ओव्हर राईटिंग की गयी है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि जप्ती का समय 18:50 बजे लेख है और उस पर ओव्हर राईटिंग की गयी है तथा गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) पर गिरफ्तारी का समय 18:55 बजे लेख है एवं उपर्युक्त प्रपत्रों पर अपराध क्रमांक पहले से ही लेख है। ऐसी परिस्थितियों में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। साथ ही प्रपत्रों पर ओव्हर राईटिंग एवं सफेदा लगाया जाना अभियोजन को संदेहास्पद करता है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं पुलिस साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.—3) एवं जाकिर खान (अ.सा.—2) के कथनों में भी पर्याप्त विरोधाभास है। उपर्युक्त परिस्थितियां अभियोजन कथा को संदेहास्पद करती हैं जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

- उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.09.2012 को समय शाम 06:50 बजे या उसके लगभग शेरू होटल के सामने बस स्टेंड आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर म.प्र. राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त प्रदीप को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.)